न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 85 / 2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामफूल पुत्र श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भिनौरा तहसील बरनाला

–प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री विजयसिंह गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 29·4·26

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 737 / 372 रकबा 0.63 हे0 जिनका नया खाता संख्या 220 व पुराना खाता संख्या 218 है, स्थित ग्राम भिनोरा तहसील बरनाला है प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड बनाई हुई हैं। बरसातो में डोलमेड़ के नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारो से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान कृषि भूमि है इस कारण आसपास के पड़ौसी सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद करते है तथा प्रार्थी को परेशान करते है इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान भी दिनांक 16.06.2024 को करवाया जा चुका है किन्तु उसके बावजूद भी आस पड़ौसी कृषक प्रार्थी को परेशान करते है। प्रार्थी सीधा सादा गरीब कृषक है, तथा इसी का फायदा उठाकर आसपास के पड़ौसी कृषक प्रार्थी की भूमि को दबाने को उतारू है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर प्रार्थी ने माननीय तहसीलदार साहब बरनाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान करवाने बावत् निवेदन किया जिसका दिनांक 16.06.2024 को मौके पर जाकर भूमि का सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थी की भूमि की पत्थर गढ़ी बावत् निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमे कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे किसी दिगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ता नहीं है किन्तु उसके बाव[illegible] प्रार्थी के सीधे सादे गरीब कृषक होने के कारण परेशान कर रहे है इस कारण [illegible] यह आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे ताकि [illegible] प्रार्थी की भूमि की रक्षा हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र पेश [illegible] की खातेदारी एवं कब्[illegible] की आराजी कृषि भमि हाल खसरा नम्बर 737 / 372 र[illegible] 0.63 हे0, जिनका न[illegible] संख्या 220 व पुराना खाता संख्या 218 है, स्थित ग्राम भिनौरा तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम भिनौरा पटवार मण्डल जीवद भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 737/372 रकबा 0.63 है0, जिनका नया खाता संख्या 220 व पुराना खाता संख्या 218 है, स्थित ग्राम भिनौरा तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम भिनौरा पटवार मण्डल जीवद भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 737/372 रकबा 0.63 है0, जिनका नया खाता संख्या 220 व पुराना खाता संख्या 218 है, स्थित ग्राम भिनौरा तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक बाटोदा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक बाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29·4·26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(प्रियंका कारेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner